अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 2/2021-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

सा.का.नि. 901(अ).—माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 91 00 या 2404 11 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 37 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 99 90 या 2404 11 00 या 2404 19 00"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 99 90 या 2404 11 00 या 2404 19 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iv) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8802 या 8806" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरय खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2021- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 सा.का.िन. 710 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 2/2021-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 901(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule,

- (i) against S. No. 25, for the entry in column (2), the entry "2403 91 00 or 2404 11 00" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 37, for the entry in column (2), the entry "2403 99 90 or 2404 11 00 or 2404 19 00" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 38, for the entry in column (2), the entry "2403 99 90 or 2404 11 00 or 2404 19 00" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 54, for the entry in column (2), the entry "8802 or 8806" shall be substituted

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: -The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate) dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 1/2021-Compensation Cess (Rate), dated the 30th September, 2021, published *vide* number G.S.R.710(E), dated the 30th September, 2021.